




आशा, आंगनवाड़ी
कार्यकर्ता के लिए

दहेज एवं बाल विवाह की रोकथाम के लिए टूलकिट



विषय सूची

सत्र 1: परिचय, आइस ब्रेकर (सुगम—पूर्वाभ्यास), बुनियादी नियम	3
सत्र 2: दहेज प्रथा रोकना क्यों जरूरी है और इसे कैसे रोका जाये?	3
सत्र 3: बाल विवाह क्या है और इसे समझना जरूरी क्यों है?	5
सत्र 4: बाल विवाह: मानव अधिकारों का उल्लंघन	6
सत्र 5: मैं क्या कर सकता/सकती हूँ	8
बाल विवाह व दहेज प्रथा पर जागरूकता एवं निवारक कार्य	9
बाल विवाह और दहेज प्रथा की रोकथाम के तत्कालिक उपाय	9
संलग्नक 1 – मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा	10
संलग्नक 2 – स्वास्थ्य और कम उम्र में विवाह	11
निर्णय लेना और कम उम्र में विवाह	12
अपने समूह में चर्चा करें	12
शिक्षा, रोजगार और कम उम्र में विवाह	12
हिंसा और कम उम्र में विवाह	13



सत्र १. परिचय, आइस ब्रेकर (सुगम-पूर्वाभ्यास), बुनियादी नियम

उद्देश्य

इस सत्र से प्रतिभागियों को संगठन के काम और सत्र / कार्यशाला के उद्देश्य समझ आएंगे।

समय: 20 मिनट

1. इसका प्रयोग करें: पिलप चार्ट या व्हाइट बोर्ड और मार्कर्स।
1. अपना परिचय दीजिये, अपने संस्था के कार्य के बारे में बतायें।
2. प्रतिभागियों के साथ एक आइस-ब्रेकर खेलिए : प्रतिभागियों को अपने नाम से पहले किसी फल, जानवर, पक्षी या फूल का नाम लेकर फिर अपना नाम बताने को कहिये। उनके नाम के पहले अक्षर से फल, जानवर, पक्षी या फूल का नाम बताना होगा जैसे की सेब सागर, या अंगूर अंकिता आदि।
3. कुछ बुनियादी नियम बनायें : प्रतिभागियों से पूछिये कि ऐसे कौन से व्यवहार हैं जो मीटिंग या किसी कार्यशाला में विध्न बाधा डालते हैं। इनको एक चार्ट पेपर या व्हाइट बोर्ड पर लिख लें। फिर प्रतिभागियों से पूछे कि क्या वे इस कार्यशाला के दौरान उस तरह के व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहेंगे? इससे कार्यशाला पर क्या असर होगा? इसके बाद प्रतिभागियों को बताएं कि इस कार्यशाला के दौरान वे चार्ट पर लिखे गए व्यवहार नहीं करेंगे और इन्हे अपना बुनियादी नियम मान कर चलेंगे तथा कार्यशाला के दौरान इन बुनियादी नियमों का पालन करेंगे।

फैसिलिटेटर के लिए नोट: बुनियादी नियमों को इस तरह से लिखें, सत्र के दौरान हम फोन पर बात नहीं करेंगे आदि। इस सत्र पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप अगले सत्र को शुरू कर सकते हैं।

सत्र २: दहेज प्रथा रोकना क्यों जरूरी है और इसे कैसे रोका जाये?

उद्देश्य:

- प्रतिभागी दहेज प्रथा के बारे में जानेंगे
- प्रतिभागी जानेंगे कि दहेज और महिलाओं के प्रति हिंसा में क्या सम्बन्ध है
- प्रतिभागी दहेज पर कानून के बारे में जानेंगे

अवधि: 90 मिनट

सामग्री: व्हाइट बोर्ड और मार्कर्स

प्रक्रिया:

1. प्रतिभागियों से पूछें कि क्या उनके समुदाय में दहेज/तिलक की प्रथा है, कौन देता है, और कौन लेता है?
2. तिलक और शादी में लेन-देन की बात कौन, कब और कैसे करता है?
3. प्रतिभागियों को 3-4 छोटे समूहों में बॉट दें, उन्हें अपने समूह में एक रोल-प्ले तैयार करना है

- पहला ग्रुप / समूह तिलक के लेन-देन के बात-चीत को दर्शाएंगे
- दूसरा ग्रुप तिलक के बात-चीत को कैसे रोक सकते हैं यह दर्शायें
- तीसरा ग्रुप / समूह यह दिखाएँ कि शादी के बाद भी दहेज की मांग कैसे जारी रहती है
- चौथा ग्रुप यह दर्शाएं कि समुदाय की ओर लोग इस प्रथा को कैसे रोक सकते हैं?

4. सहजकर्ता नीचे दिए गए तालिका को व्हाइट बोर्ड पर बना लें:

प्ले में क्या दर्शाया?	इस में किस तरह के हिंसा को दिखाया गया?	हिंसा कौन कर रहा था?	हिंसा किस के साथ हो रही थी?	इन पर हिंसा का क्या प्रभाव पड़ा?	इन के कौन से अधिकारों का हनन हुआ?	इस को रोकने के लिए किन के साथ काम कर सकते हैं? किस तरह का काम कर सकते हैं?

5. हर एक रोल-प्ले के बाद ऊपर दी गयी तालिका को भरें और इस के आधार पर चर्चा करें।
6. सत्र के अंत में तालिका के बिंदुओं पर चर्चा करते हुए दहेज प्रथा और महिलाओं के प्रति हिंसा के सम्बन्ध को समझाएं।
7. साथ ही यह भी चर्चा करें कि इसका लड़कियों और महिलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है

चर्चा के कुछ बिंदु:

- इन सभी स्थितियों में हिंसा किसके साथ हो रहा है?
- हिंसा करने वाले कौन थे? जिस के साथ हिंसा हो रही है क्या यह उनके जान-पहचान के लोगों से हैं?
- जिनके साथ हिंसा हो रही है उन पर हिंसा का क्या प्रभाव पड़ सकता है?
- ऐसी कौन सी बातें हैं जो हर रोल-प्ले में एक जैसी थीं?
- इस तालिका से हमें क्या पता चलता है?
- दहेज को रोकने के लिए किसके साथ, और किस तरह का काम कर सकते हैं?
- हमारा कानून क्या कहता है?

सहजकर्ता के लिए नोट्स:

ज्यादातर हिंसा के घटनाओं में लड़कीयां / महिलाएं, उनके परिवार के सदस्य या उनके बच्चे प्रभावित होते हैं। पितृसत्तात्मक सोच के बजह से समाज में लड़की के परिवार वालों का दर्जा कम माना जाता है। इसके अलावा हिंसा करने वाले अक्सर महिला या लड़की के परिवार वाले, रिश्तेदार या जान-पहचान के होते हैं। इस कारणवश उसके खुद का घर उसके लिया असुरक्षित बन जाता है, और वह कमजोर पड़ जाती है। उसके पास सुरक्षा पाने के सम्बन्ध में जानकारी का अभाव होता है तथा उसकी संसाधन इत्यादि तक पहुँच भी सिमित ही होती है, जो कि हिंसा मुक्त जीवन जीने का आधार होते हैं।

नीचे दी गयी तालिका रोल-प्ले और चर्चा से निकली हुई बातों का उदाहरण है:

प्ले में क्या दर्शाया?	इस में किस तरह के हिंसा को दिखाया गया?	हिंसा कौन कर रहा था?	हिंसा किस के साथ हो रही थी?	इन पर हिंसा का क्या प्रभाव पड़ा?	इन के कौन से अधिकारों का हनन हुआ?	इस को रोकने के लिए किन के साथ काम कर सकते हैं? किस तरह का काम कर सकते हैं?
यहाँ पर रोल-प्ले में दर्शायी गयी घटना को लिखें जैसे कि दहेज के लेन-देन की बात कौन और किसके साथ कर रहे हैं इत्यादि	मौखिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौनिक हिंसा इत्यादि	पिता, भाई, चाचा, दादा, दादी, बहन, मां, ससुर, सास, देवर इत्यादि	बेटी, बहन, दीदी इत्यादि	शादी नहीं हुई, पढ़ाई रोक दी गयी, शादी के बाद भी हिंसा सहना पड़ा, लड़की का आत्मा-विश्वास कम होना, इत्यादि	यहाँ जिन अधिकारों का हनन हुआ है, उनके नाम लिखें	

सत्र 3: बाल विवाह क्या है और इसे समझना जरूरी क्यों है?

उद्देश्य

इस चर्चा के अंत में प्रतिभागी अपने समुदाय में बाल विवाह की वर्तमान स्थिति की पहचान करने और उसको रोकने की प्रासंगिकता और जरूरत की पहचान करने में सक्षम हो जायेंगे।

समय: 60 मिनट

बाल विवाह की परिस्थिति और उसके वर्तमान प्रसार के बारे में प्रतिभागियों के साथ चर्चा करें। उनके गांव में इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में उनसे जानकारी लें। बाल विवाह पर कानून और उस संबंध में कार्यवाई कर सकने वाले अधिकारियों के बारे में चर्चा करें। उन लोगों के साथ कानून के अनुसार की जा सकने वाले कार्यवाई के बारे में चर्चा करें और साथ ही यह भी कि अधिकारियों को कौन रिपोर्ट कर सकता है।

विचार करें:

- वो क्या कारण हैं, जिनकी वजह से माता-पिता कम उम्र में ही अपने लड़कियों व लड़कों की शादी कर देते हैं?
- बाल विवाह युवा लड़कियों और लड़कों को किस प्रकार से प्रभावित करती है?
- बाल विवाह को रोकना व इस प्रथा को समाप्त करना क्यों महत्वपूर्ण है?
- आपके समुदाय में बाल विवाह का निषेध करने या इसे रोकने के लिए अब तक क्या किया गया है?

फैसिलिटेटर (सहजकर्ता) के लिए नोट: इस बैठक का आयोजन करने से पहले बैठक की तैयारी करने के क्रम में इस चर्चा के सम्बन्ध में प्रदान किए गए अनुबंधों को पढ़ लें। प्रतिभागियों के बीच वितरण के लिए बुकलेट की पर्याप्त प्रतियाँ भी साथ ले जाएँ।

सत्र ४: बाल विवाह: मानव अधिकारों का उल्लंघन

उद्देश्य

इस सत्र की समाप्ति तक प्रतिभागी बाल विवाह का मानवाधिकार के नजरिए से विश्लेषण करने, बाल विवाह की इजाजत देने में होने वाले अधिकारों के उल्लंघन को बेहतर ढंग से समझने और लड़की के जीवन पर बाल विवाह के परिणाम का आंकलन करने में सक्षम होंगे।

समय: 90 मिनट

इसका उपयोग करें: संलग्नक— स्वास्थ्य व बाल विवाह, विकल्प का अधिकार, निर्णय लेना और बाल विवाह, शिक्षा, रोजगार व बाल विवाह, हिंसा व बाल विवाहय चार्ट पेपर्स, मार्कर्स।

1. चार छोटे समूह बनाएं। प्रत्येक समूह को संलग्नक के रूप में से एक केस स्टडी (घटना वृतांत) दें – स्वास्थ्य व बाल विवाह, विकल्प का अधिकार, निर्णय लेना और बाल विवाह, शिक्षा, रोजगार व बाल विवाह, हिंसा व बाल विवाहय चार्ट पेपर्स, मार्कर्स।

अपने समूह में 30 मिनट तक केस स्टडी (घटना वृतांत) पर चर्चा करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें:

- ◆ किन अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और कैसे?
- ◆ लड़कियों पर इन उल्लंघन का क्या प्रभाव होगा?

अपने समूह की प्रतिक्रियाएं चार्ट पेपर पर लिखें और फिर उसे पूरे समूह को दिखाएं।

सोचने-विचारने के लिए प्रेरित करें -

- इनमें से प्रत्येक केस स्टडी (घटना वृतांत) में किन अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है?
- केस स्टडी (घटना वृतांत) कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं?
- उल्लंघन एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं?
- इन केस स्टडी (घटना वृतांत) से युवा लड़कियों और लड़कों के जीवन की गुणवत्ता के बारे में क्या पता चलता है?
- परिवारों का जीवन कैसे प्रभावित होता है?

इस पर चर्चा करें:

जब यहाँ प्रत्येक केस स्टडी (घटना वृतांत) में स्वास्थ्य, रोजगार, घरेलू हिंसा, शिक्षा और चयन के अधिकार जैसे विशिष्ट मानवाधिकारों पर के मुद्दों पर बाल विवाह के प्रभाव की चर्चा की गई है। इसलिए इनमें से प्रत्येक अधिकारों के बारे में गहन समझ का होना जरूरी है। निम्न तालिका में दिए गए मुद्दे चर्चा के दौरान सामने आ सकते हैं। यहाँ पर सूचीबद्ध किए गए सभी बिंदुओं पर चर्चा करना आवश्यक है।

इसके अलावा इनमें से प्रत्येक के बीच संबंध स्थापित करना भी जरूरी है, जैसे हमने मानवाधिकारों की समझ के दूसरे सत्र में किया था। उदाहरण के तौर पर, अगर लड़कियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है तो उन्हें उपयुक्त नौकरी नहीं मिलेगी। अगर लड़कियों को नौकरी नहीं मिलेगी तो उन्हें आर्थिक रूप से अपने पति पर निर्भर रहना पड़ेगा। अगर उन्हें घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है तो यह वित्तीय निर्भरता उनके लिए हिंसक घर को छोड़ने का निर्णय लेने में बाधा बन सकती है। इसी तरह से अगर लड़कियों को गर्भनिरोधक, या परिवार नियोजन के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी जाएगी तो वे बच्चा पैदा करने से जुड़े निर्णय नहीं ले पाएंगी। इसकी वजह से उन्हें जल्दी गर्भधारण करना पड़ सकता है, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य व जीवन खतरे में पड़ सकता है।

शिक्षा और कम उम्र में विवाह	स्वास्थ्य व कम उम्र में विवाह	हिंसा व कम उम्र में विवाह	निर्णय लेना और व कम उम्र में विवाह
अधिकारों का उल्लंघन शिक्षा का अधिकार रोजगार पाने का अधिकार प्रजनन व यौन स्वास्थ्य के चयन का अधिकार प्रभाव शिक्षा में बाधा खराब आर्थिक स्थिति बच्चों व परिवार की देखभाल में परेशानी हिंसा का शिकार होती लड़कियां मां द्वारा झेली गई हिंसा का उसके बच्चों पर प्रभाव अधूरी शिक्षा की वजह से कैरियर में कम अवसर बढ़ती लाचारी	अधिकारों का उल्लंघन शिक्षा का अधिकार जीवनसाथी चुनने का अधिकार प्रजनन के चयन का अधिकार पोषण का अधिकार स्वास्थ्य व चिकित्सा प्राप्त करने का अधिकार आर्थिक सुरक्षा का अधिकार घर के बाहर काम करके पैसे कमाने का अधिकार प्रभाव पति से संक्रमित होने के बावजूद एचआईवी का आरोप खराब स्वास्थ्य लड़कियों के हाथों में किसी संसाधन का न होना ससुराल से निकाले जाने और मायके द्वारा न अपनाए जाने की वजह से बेघर हो जाना	अधिकारों का उल्लंघन शिक्षा का अधिकार माता का अपने लड़कियों को सुरक्षा देने का अधिकार प्रजनन व यौन स्वास्थ्य के चयन का अधिकार दहेज की मांग का विरोध करने का अधिकार प्रभाव शारीरिक, आध्यात्मिक व मनोवैज्ञानिक यौन शोषण। अगर विवाहित जोड़े के लिए यौन संबंध को लेकर कोई सहमति नहीं है तो ऐसे संबंधों को विवाहित बलात्कार कहा जाता है।	अधिकारों का उल्लंघन शिक्षा का अधिकार बच्चों को उनकी शिक्षा के उपयोग के बारे में बताने का अधिकार लड़की का विवाह किसी अजनबी से हो रहा हो, ऐसे में निर्णय लेने का अधिकार प्रभाव शिक्षा में बाधा किसी कौशल का न होना संसाधनों तक सीमित पहुंच हिंसा का खतरा अपने शरीर व प्रजनन स्वास्थ्य पर कोई नियंत्रण न होना गरीबी चक्र में उलझना

चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर बहस हो सकती है। जैसे हम वैवाहिक बलात्कार और संसाधनों की कमी पर टिप्पणी सुन सकते हैं। हम सुन सकते हैं कि कैसे माता पिता द्वारा लड़की को सहयोग नहीं किया जाता है और उसे परेशान होने के लिए छोड़ दिया जाता है। आप मोबाइल फोन व टेक्नोलॉजी के बारे में ऐसे किस्से भी सुन सकते हैं कि ये चीजें लड़कियों को घर से भाग जाने के लिए उकसाती हैं। इस बात पर जोर दें कि हमें उन लड़कियों के बारे में सोचना चाहिए जो इस केस स्टडी (घटना वृतांत) के केंद्र में हैं। यहां मुद्दा टेक्नोलॉजी की उपलब्धता का नहीं है, बल्कि इसमें बताया गया है कि हम किस तरह युवाओं को जागरूक व सतर्क रख सकते हैं और स्वस्थ निर्णय लेने में उनकी मदद कर सकते हैं। उन परिवारों के नजरिए को बदलना भी बहुत जरूरी है जो लड़कियों को बोझ के रूप में देखते हैं। अगर लड़कियां सशक्त, शिक्षित और स्वस्थ रहेंगी तो वह अपने माता पिता का सहयोग करने के साथ स्वस्थ संबंधों को स्थापित करने में भी सफल रहेंगी जो सम्मानपूर्वक होगा। यह तभी संभव होगा जब हम हिंसा के मामलों में न्याय करने में सक्षम होंगे और हमारे मन में घरेलू हिंसा के लिए कोई सहिष्णुता नहीं होगी।

कम उम्र में विवाह के लिए लड़कियों के मौन को ही उनकी स्वीकृति मान लिया जाता है। हमें इस तथ्य पर विचार-विमर्श करने की जरूरत है। हमें इस / धारणा को बदलना होगा जिसके अनुसार बलात्कार और यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए

लड़कियों का कम उम्र में विवाह करना ही एकमात्र विकल्प है। वैवाहिक बलात्कार के खिलाफ कोई कानून नहीं हैं जबकि यह लगभग प्रत्येक विवाह में होता है और कम उम्र में विवाह के मामलों में तो इसकी संभावना काफी बढ़ जाती है। सबसे जरुरी बात यह है कि यह है कि हम ऐसे माहौल को बनाने की ओर कार्य करें जहां लड़कियों को मात्र उनके लिंग की वजह से हिंसा का शिकार न होना पड़े।

ऊपरोक्त विचार विमर्श और बहस महत्वपूर्ण और दिलचस्प हैं, हमें निम्न चीजों को भी अपने विचार विमर्श में शामिल करना चाहिए :

- कम उम्र में विवाह से मानवाधिकारों का हनन होता है।
- कम उम्र में विवाह से लड़कियों की शिक्षा का अधिकार बाधित होता है, और शिक्षा का अधिकार एक अहम मानव अधिकार है जिसका उल्लेख यूडीएचआर के खंड 26 में किया गया है।
- कम उम्र में विवाह से लड़कियों के स्वास्थ्य का अधिकार बाधित होता है, जो एक मौलिक अधिकार है जिसका उल्लेख यूडीएचआर के अनुच्छेद 25 में किया गया है।
- कम उम्र में विवाह से यूडीएचआर के अनुच्छेद 23, यानी रोजगार का अधिकार और अनुच्छेद 22 यानि सामाजिक सुरक्षा के अधिकार का भी उल्लंघन होता है।
- कम उम्र में विवाह की वजह से यूडीएचआर के अनुच्छेद 16 यानि पूर्ण सहमति व स्वतंत्रता से विवाह करने के अधिकार का भी हनन होता है क्योंकि लड़के / लड़किया परिपक्वता की कमी होने की वजह से विवाह के निहितार्थ / दायित्वों को नहीं समझ पाते हैं।
- चूंकि मानव अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसलिए यह अपरिहार्य है कि कम उम्र में विवाह से केवल उपर्युक्त अधिकारों का ही नहीं बल्कि अन्य मानवाधिकारों का भी उल्लंघन होता है।
- भारत ने 10 दिसंबर 1948 को महासभा (जनरल असेंबली) में यूडीएचआर के पक्ष में वोट दिया था। इसलिए बतौर भारतीय हम यूडीएचआर में घोषित सभी मानव अधिकारों का प्रयोग करने के हकदार हैं।

सत्र ७: मैं क्या कर सकता / सकती हूँ

उद्देश्य-

इस सत्र के अंत में सभी प्रतिभागी बाल विवाह एवं दहेज प्रथा पर और उससे संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए वे क्या कर सकते हैं, इसकी सूची बनाने में सक्षम हो जाएँगे।

समय: 60 मिनट

इसका प्रयोग करें: लैपटॉप, प्रोजेक्टर, एक्सटेंशन कार्ड, स्पीकर (अनिवार्य नहीं) मानक संचालन प्रक्रिया पर प्रेजेंटेशन (प्रेजेंटेशन) / चार्ट पेपर

विचार करें:

प्रतिभागियों के साथ चर्चा करें कि आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर क्या कर सकते हैं। चर्चा के पश्चात मानक संचालन प्रक्रिया प्रेजेंटेशन करें या फिर चार्ट पेपर में लिखित मानक संचालन प्रक्रिया के द्वारा फिर प्रतिभागियों से चर्चा करें।

फैसिलिटेटर (सहजकर्ता) के लिए नोट:

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

बाल विवाह व दहेज प्रथा पर जागरूकता एवं निवारक कार्य

1. समुदाय में बाल विवाह व दहेज प्रथा पर जागरूकता बढ़ाने और समुदाय को इसके दुष्परिणामों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उपलब्ध सभी अवसरों का उपयोग करें।
2. सबसे पहले अपने परिवार में यह सुनिश्चित करें कि परिवार के किसी भी सदस्य की शादी उसके कानूनी उम्र पूरी होने से पहले न हो और शादी में किसी भी प्रकार के दहेज का लेन देन न हो।
3. गांव में आयोजित होने वाले किसी भी बाल विवाह में भाग न लें।
4. ग्राम सभा, स्वयं-सहायता समूह की बैठकों, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस व त्यौहार इत्यादि के अवसरों पर बाल विवाह और दहेज प्रथा की चर्चा मानवाधिकार उल्लंघन के बतौर करें।
5. नागरिक समुदाय के सदस्यों, आईसीडीएस / आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों, / धार्मिक नेताओं, पुलिस, स्कूल अध्यापकों आदि को साथ लेकर समिति बनाएं। ये समितियां परिवारों के बीच जागरूकता पैदा करने का काम कर सकती हैं और यदि बाल विवाह आयोजित होता है तो कानूनी कार्रवाई कर सकती है।
6. बाल संरक्षण समिति, स्कूल प्रबंधन समिति, सामाजिक न्याय समिति व अन्य विभिन्न स्थानीय निकायों के सदस्य बनें।
7. अन्य सम्बंधित सरकारी विभागों के साथ स्वास्थ्य विभाग को जोड़ने में सहायता करें, ताकि परिवार विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं का एक साथ लाभ उठा सके और विवाह को कानूनी आयु के पहले न करने के लिए प्रेरित हो सकें।
8. बाल विवाह को रोकने के लिए बनाई गई योजनाओं जैसे— मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, किशोरी मंडल पूरक पोषण योजना, सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना आदि के बारे में समुदाय में जानकारी देना।
9. किशोरों के अन्दर यह क्षमता विकसित करना कि वे लड़कियों के महत्व को समझें तथा बाल विवाह बर्दाश्त न करें और समाज में प्रचलित बाल विवाह और दहेज प्रथा के बुराईयों को चुनौती दे सकें। इसके लिए किशोरों के निर्णय लेने की क्षमता तथा उनके अन्दर बातचीत करने के कौशल का विकास करना।
10. झॉप-आउट (स्कूल की पढ़ाई को बीच में छोड़ना) की प्रवृत्ति को खत्म करना तथा और बाल विवाह को रोकने हेतु विवाह की उपयुक्त आयु की सूचना और लोक कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के बीच फैलाना।
11. समुदाय में, विशेष रूप से किशोर छात्राओं / छात्रों को बाल विवाह का शिक्षा, स्वास्थ्य व निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में शिक्षित करना, और हिंसामुक्त जीवन जीने के अधिकार तथा बाल विवाह और दहेज प्रथा के कानूनी परिणामों के बारे में जागरूकता सत्रों को आयोजित करना।
12. बाल विवाह के प्रभाव पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें शिक्षित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों, ग्राम पंचायत, नगर पालिका आदि के नेताओं को एक साथ लाकर समन्वय समिति बनाना। यह समन्वय समिति बाल विवाह के परिणामों के बारे में लोगों को जानकारी देगा तथा बाल विवाह रोकने के लिए एक निगरानी प्रणाली के रूप में कार्य कर सकता है।

बाल विवाह और दहेज प्रथा की रोकथाम के तत्कालिक उपाय

1. अपने समुदाय के उन सभी बच्चों की सूची बना लें जिनका बाल विवाह संभावित है।
2. यदि स्वास्थ्य केंद्र में किशोरियों की उपस्थिति लगातार घट रही हो और उनके शादी होने की संभावना दिख रही हो तो, उनके घरों में जायें और उसके माता-पिता से पढ़ाई के महत्व और बाल विवाह के दुष्परिणामों पर बात करें।
3. ऐसे छात्राओं / छात्रों के माता-पिता की काउन्सिलिंग करें तथा बाल विवाह और दहेज प्रथा से सम्बंधित कानूनों के बारे में उन्हें जानकारी दे और बताएं कि यह कानूनन अपराध है।
4. विवाह में विलंब के लिए सरकार द्वारा चलाये गए विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में उनके परिवार को जानकारी दें।

5. बाल विवाह की सूचना मिलते ही नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज कराएं।
6. अगर पुलिस स्टेशन जाना संभव नहीं है अथवा पुलिस थाने में आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो निकटतम न्यायिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करायें।
7. बाल विवाह की सूचना मिलने पर चाइल्ड लाइन पर फोन करें या फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन / पुलिस अधीक्षक / बाल कल्याण समिति / महिला एवं बाल विकास विभाग या राज्य के समाज कल्याण विभाग आदि को पत्र लिखें।
8. यदि पुलिस थाना दूर है या आसपास के इलाकों में कोई न्यायालय नहीं है, तो आप आस-पास में बच्चों के मुद्दों पर काम करने वाले किसी गैर-सरकारी संगठनों से भी सहायता मांग सकते हैं।
9. परिवारों को संबंधित विभागों के साथ जोड़ें ताकि परिवार विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के लाभों का उपयोग कर सकें और परिवार के किशोरियों / किशोरों के विवाह को कानूनी आयु तक टालने के लिए प्रेरित हो सकें।
10. बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए परिवार के सदस्यों से शिक्षा के महत्व पर बात करें, और शादी करने हेतु स्कूल छुड़वाने के बजाय लड़कियों और लड़कों के स्कूली शिक्षा को हर हाल में पूरा कराने पर जोर दें।
11. दहेज के लेन-देने की जानकारी आप निकटतम पुलिस स्टेशन में दें। बिहार राज्य में आप इसकी सूचना जिला कल्याण अधिकारी को भी दे सकते हैं, जो इसकी सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग, बिहार को देगा।

संलग्नक 9 -

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (संक्षिप्त)

- अनुच्छेद 1. समानता का अधिकार
- अनुच्छेद 2. भेदभाव से आजादी
- अनुच्छेद 3. जीवन, स्वाधीनता और निजी सुरक्षा का अधिकार
- अनुच्छेद 4. गुलामी से मुक्ति
- अनुच्छेद 5. अत्याचार और अपमानजनक व्यवहार से मुक्ति
- अनुच्छेद 6. कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में पहचान का अधिकार
- अनुच्छेद 7. कानून के समक्ष समानता का अधिकार
- अनुच्छेद 8. सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा उपाय का अधिकार
- अनुच्छेद 9. मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और निर्वासन से मुक्ति
- अनुच्छेद 10. निष्पक्ष सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार
- अनुच्छेद 11. दोषी साबित होने तक निर्दोष माने जाने का अधिकार
- अनुच्छेद 12. गोपनीयता, परिवार, घर और समानता में हस्तक्षेप से मुक्ति
- अनुच्छेद 13. पूर्ण स्वतंत्रता के साथ देश में आने और देश से जाने का अधिकार
- अनुच्छेद 14. दूसरे देशों में उत्पीड़न से बचाव का अधिकार
- अनुच्छेद 15. किसी राष्ट्रीयता और उसे बदलने के लिए स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 16. विवाह करने और परिवार बढ़ाने का अधिकार

अनुच्छेद 17. संपत्ति का अधिकार

अनुच्छेद 18. विश्वास और / शर्म की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 19. राय देने और जानकारी पाने की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 20. शांतिपूर्ण सम्मेलन और सहयोगिता का अधिकार

अनुच्छेद 21. सरकार में और स्वतंत्र चुनाव में भाग लेने का अधिकार

अनुच्छेद 22. सामाजिक सुरक्षा का अधिकार

अनुच्छेद 23. वांछनीय कार्य करने और ट्रेड यूनियन में शामिल होने का अधिकार

अनुच्छेद 24. विश्राम और अवकाश का अधिकार

अनुच्छेद 25. पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार

अनुच्छेद 26. शिक्षा का अधिकार

अनुच्छेद 27. समाज के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार

अनुच्छेद 28. इस दस्तावेज को परिलक्षित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का अधिकार

अनुच्छेद 29. स्वतन्त्र और पूर्ण विकास के लिए आवश्यक सामुदायिक कर्तव्य

अनुच्छेद 30. ऊपर दिये गए अधिकारों में सरकारी या व्यक्तिगत हस्तक्षेप से मुक्ति

संलग्नक 2 -

स्वास्थ्य और कम उम्र में विवाह

मीना 15 साल की है और गांव में रहती है। वह नौरी कक्षा में पढ़ती है। एक दिन एक पड़ोसी ने उसके पिताजी से उसकी और अपने भांजे की शादी के प्रस्ताव को लेकर बात की। भांजा छत्तीसगढ़ में रहता है और ईट बनाने की भट्टी में काम करता है। उसे अक्सर काम के लिए दूसरे राज्यों में भी पलायन करना पड़ता है। मीना ने शादी का विरोध किया था, लेकिन उसके पिता ने इसे एक अच्छा अवसर समझकर एक महीने के भीतर ही उसकी शादी कर दी।

एक साल के बाद 16 वर्ष की आयु में मीना ने बेटी को जन्म दिया। गर्भावस्था के दौरान उपयुक्त भोजन और स्वास्थ्य देखभाल नहीं मिली। अधिकतर समय उसका पति काम के सिलसिले में बाहर रहता था। यद्यपि वह घर आता-जाता था, लेकिन वह नियमित तौर पर पैसा नहीं भेजता था। उसकी गर्भावधि बहुत कठिन रही और वह अक्सर बहुत कमजोर और बीमार रहती थी। मीना की बच्ची भी कुपोषण का शिकार हो गई। अगले कुछ महीनों में उसे बुखार, चिकोता, थकावट और गले के चारों ओर सूजन की परेशानीयों ने धेर लिया¹। वह डॉक्टर के पास गई जिसने खून जांच कराने के लिए कहा। रिपोर्ट (प्रतिवेदन) में सामने आया कि वह एचआईवी पॉजिटिव है। जब उसके समुराल वालों को यह जानकारी मिली तो उन्होंने उसे चरित्रहीन बताते हुए बेटी सहित घर से निकाल दिया।

¹ अधिक जानकारी के लिए <http://www.healthline.com/health/slideshow/early&signs&hiv&infection#3>

कुछ समय के बाद उसकी बेटी भी बार-बार बीमार रहने लगी। वह अपने माता-पिता के पास गई, लेकिन वहां से भी उसे लौटा दिया गया।

अपने समूह में चर्चा करें:

1. किस तरह के अधिकारों का हनन हो रहा है और कैसे?
2. इस तरह के अधिकार हनन का लड़कियों पर क्या प्रभाव पड़ता है?

निर्णय लेना और कम उम्र में विवाह:

रमा शहरी क्षेत्र के नजदीक बसे गांव में रहती है। हर साल, वह स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करती थी। जब वह नौवीं कक्षा में आई तो उसके पिता ने उसे उपहार स्वरूप एक मोबाइल फोन दिया, हालांकि उसकी मां इससे सहमत नहीं थी।

रमा की कुछ दोस्त थी, जिनके साथ वह अंग्रेजी की कोचिंग क्लास करती थी। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ बात करती रहती थी, खासकर नए फोन मिलने के बाद, हालांकि उसके पिता दोस्तों के साथ इस तरह उसका स्वतंत्र रहना पसंद नहीं करते थे।

एक दिन उसे मालूम हुआ कि उसके माता-पिता ने उसके लिए वर खोजना शुरू कर दिया है। उसने, उनसे कहा कि वह शादी करने की बजाय पढ़ाई जारी रखना चाहती है। उसके पिता को शक हुआ कि वह किसी से प्रेम करती है। उन्होंने जिद की कि रमा को उसी से शादी करनी होगी, जिसे उन्होंने चुना है।

अगले दिन, स्कूल जाने के रास्ते में रमा अपने दोस्त प्रीतम से मिली और घर पर हुई सारी बातें उसे बताई। रमा और प्रीतम उस दिन स्कूल नहीं गए और उसकी परेशानी का हल निकालने के लिए पार्क में ही बैठे रहे। जब वह घर लौट रही थी तो रास्ते में वह अपने पिता से मिली। उसके पिता ने उसे अपशब्द कहे और तुरंत घर लौट जाने के लिए कहा।

रमा उस दिन घर नहीं लौटी। रमा के पिता ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी का अपहरण हो गया है। हालांकि उनका यह शक सही नहीं था।

अगले दिन उनको जानकारी मिली की रमा ने अपने दोस्त प्रीतम से शादी कर ली है और वह ससुराल में है।

वह रमा के ससुराल कुछ स्थानीय गुंडों के साथ गए और प्रीतम की काफी पिटाई की। उसके पिता को यकीन था कि इसके बाद वह लौट आएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बाद रमा ने पुलिस से कहा कि उसने प्रीतम से शादी कर ली और उसका अपहरण नहीं किया गया है।

अपने समूह में चर्चा करें -

1. किस तरह के अधिकारों का हनन हो रहा है और कैसे?
2. इस तरह के अधिकार हनन का लड़कियों पर क्या प्रभाव पड़ता है?

शिक्षा, रोजगार और कम उम्र में विवाह -

श्रेया एक गरीब परिवार से थी। बचपन में श्रेया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसके दो भाई थे और दोनों स्कूल जाते थे और ट्यूशन भी पढ़ते थे।

जब वह 15 साल की उम्र में नौवीं कक्षा में पढ़ुंची तो उसके माता-पिता ने दर्जी का काम करने वाले के साथ उसकी शादी तय कर दी।

शादी के बाद श्रेया पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई। अगले तीन साल के अंदर उसने दो बच्चे को जन्म दिया। धीरे-धीरे उसके पति का व्यवसाय मंदा पड़ने लगा। उसके पति ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वह इस स्थिति से निकलना चाहती थी। उसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए खाली स्थान होने की जानकारी मिली और उसने इसके लिए आवेदन दिया। वह नौकरी प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास होना था।

अपने समूह में चर्चा करें -

1. किस तरह के अधिकारों का हनन हो रहा है और कैसे?
2. इस तरह के अधिकार हनन का लड़कियों पर क्या प्रभाव पड़ता है?

हिंसा और कम उम्र में विवाह -

दिसंबर की सुबह जब राधा अपने ट्यूशन से घर लौट रही थी तो उसने सुना कि विगत दिनों उसकी गहरी दोस्त मिनी के साथ दुष्कर्म हुआ। इस घटना के एक सप्ताह के अंदर, राधा के पिता ने राधा की शादी के लिए लड़का देखना शुरू किया। दूल्हा उससे 14 साल बड़ा था। राधा उस समय 15 साल की थी और आगे पढ़ना चाहती थी। वह आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। उसने बैसिक कंप्यूटर कोर्स किया था। उसने इसके बारे में अपने पिता से कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया और कहा अगर मिनी जैसा कुछ उसके साथ हो जाता है तो कोई भी उसे छुएगा नहीं और वह समाज में अपना आदर खो देंगे। इसलिए राधा ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और शादी कर ली। पहले ही दिन उसके ससुराल वालों ने उससे अपने माता-पिता के यहां से और 30,000/- रुपये लाने के लिए कहा। उनलोगों ने कहा कि यह उसके काली होने का हर्जाना है।

धीरे-धीरे उससे घर के सभी काम करने के लिए कहा जाने लगा। वह परिवार के अन्य सदस्यों के जगने से पहले सूर्योदय के समय ही जग जाती थी, और उसे सभी के बिस्तर पर जाने के बाद ही सोने की अनुमति थी। उसे कभी-कभी ही पूरा खाना दिया जाता है उससे कहा जाता था कि यह अधिक दहेज न लाने की सजा है। वह अपने पति से बात करने में असमर्थ थी क्योंकि वह उम्र में उससे काफी बड़ा था। इससे पहले जब उसने अपने पति से आग्रह किया था, तो उसने उसे खर्च के लिए पैसा देने से मना कर दिया था।

वह अपने पति के साथ सेक्स करते समय भी बहुत असहज महसूस करती थी। यह सेक्स भी तब ही होता था, जब उसका पति चाहता था। उसका पति इस बारे में कभी भी सोच-विचार नहीं करता था कि वह क्या सोचती है और क्या चाहती है। हालांकि राधा फिर से पढ़ाई करना चाहती थी लेकिन किसी को इसकी जरूरत महसूस नहीं होती थी। कुछ महीने के बाद राधा को पता चला कि उसके पति का अपने सहकर्मी के साथ भी संबंध है। उसने महसूस किया कि बेशक वह उसके साथ मार-पीट नहीं करता है, लेकिन उसका व्यवहार उसके साथ मानवीय भी नहीं है।

अपने समूह में चर्चा करें -

1. किस तरह के अधिकारों का हनन हो रहा है और कैसे?
2. इस तरह के अधिकार हनन का लड़कियों पर क्या प्रभाव पड़ता है?





